

प्रा०पत्र / 69 / 2022

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रुजदार पुत्र नूरशाह आयु 94 जाति मेव निवासी भौरी, तहसील पहाडी जिला
भरतपुर राज०

.....प्रार्थी०

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन मिनी ट्रक ओपन
बॉडी रजि. नं. RJ-02/GB-0992 मॉडल 2014 वमुकदमा
एफ.आई.आर. न. 61/2021 थाना कैथवाड़ा, भरतपुर
अपराध अन्तर्गत धारा 5/8 आर.बी.ए. एक्ट.

उपस्थित :-

- 1-श्री दिलीपकुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,
- 2-ए०पी०पी० पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय


दिनांक 28.6.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन मिनी ट्रक ओपन बॉडी रजि. नं. RJ-02/GB-0992 वमुकदमे एफ.आई.आर. न. 61/2021 थाना कैथवाड़ा, भरतपुर द्वारा नाजयज रूप से गौवंश अधिनियम के तहत जप्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। जिसके खुले में खड़े रहने से जंगम व खराब होने की पूर्ण संभावना है, प्रकरण के सही व गलत बाबत अभी फैसला होना है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी वाहन को सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी उक्त वाहन का मालिक है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर उक्त जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना कैथवाड़ा, जिला भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

प्रकरण दर्ज कर, अप्रार्थी की तलबी की गई। थानाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर राज०



(2)

रुजदार बनाम सरकार
प्रा0पत्र/62 /2022

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि थाना कैथवाड़ा भरतपुर ने एफआईआर नंबर 61/2021 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गौवंश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। वाहन प्रार्थी के रोजगार का एक मात्र साधन है जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि थाना अधिकारी को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। जप्त वाहन थाने में खुले में खड़ा हुआ है जिसके खराब होने की पूरी सभांवना है। प्रार्थी उक्त जप्त वाहन का स्वामी है। इसलिए उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में लेने का पूर्ण हकदार है। न्यायालय जो भी आदेश देगा प्रार्थी को स्वीकार होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।


पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि उक्त वाहन थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर में एफआईआर नंबर 61/2021 अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर अधिनियम की धारा 5/8 में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नहीं दिया जासकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त वाहन गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 5/8 में मु0न0 61/2021 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :-

".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबन्धित है.....।"

.....3




जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

(3)

रुजदार बनाम सरकार
प्रा0पत्र/62 /2022


इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। हम ए.पी.पी. के तर्कों से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति पुलिस थानाधिकारी कैथवाड़ा, जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।




(आलोक रंजन)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर